न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– मूल चन्द आर.ए.एस.

अपील संख्या 2015/00161 (198/2015) 225 आरटीएक्ट

1. रतनाराम
2. मंदनलाल
3. बनवारी
4. बरसन्ती पत्नी अमरचन्द
5. रामकिशन
6. शान्ति पत्नी बुधराम
7. लालचन्द

(क्रम 1 से 7) पि0 गोगलराम जाति मोची निवासी लखेरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

8. गुड्डी पुत्री गोगलराम पत्नी मुरलीधर जाति मोची निवासी श्रीगंगानगर तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
9. मनोहरी पुत्री गोगलराम पत्नी नत्थूराम जाति मोची निवासी मलोट तहसील व जिा मलोट पंजाब
10. लीला पुत्री गोगलराम पत्नी जगदीश जाति मोची निवासी बुास तहसील तारानगर जिला चुरू।

– अपीलाण्ट

बनाम

1. इमीलाल पुत्र मलूराम जाति जाट
2. गंगाराम पुत्र रूपाराम जाति जाट
3. मूलाराम पुत्र हरखाराम जाति जाट
4. बिरजूराम पुत्र रावतसिंह जाति राजपूत

(क्रम 1 से 4) निवासी लाखेरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

5. रमेश
6. रामनिवास

(क्रम 5 व 6) पि0 बुधराम जाति मोची निवासी लाखेरा तहीसल रावतसर जिला हनुमानगढ

7. बिन्दू पुत्री बुधराम
8. विक्रम पुत्र अमरचन्द
9. रवि पुत्र अमरचन्द

(क्रम 7 से 9) जाति मोची निवासी लाखेरा तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

–रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध निर्णय वं डिक्री दिनांक 28.09.2015 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर प्रकरण संख्या 10/2012

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री लालचन्द वर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक:– 13.06.2019

1. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर के समक्ष अपीलार्थीगण ने धारा 88 एवं 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक वाद पत्र प्रस्तुत किया। वादपत्र में ग्राम लाखेरा की प्रश्नगत 9.217 है. भूमि में वादीगण को गैरखातेदार घोषित करने एवं घोषणात्मक आज्ञाप्ति के साथ साथ उक्त भूमि से प्रतिवादीगण के विरूद्ध अधिनिस्कासन की आज्ञाप्ति पारित करने एवं प्रचलित दर

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

से शास्ति दिलाई जाने का अनुतोष मांगा। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जवाब दावा पेश किया। दावा एवं जवाब दावा के आधार पर विचारण न्यायालय ने वादी वादी खारिज किया है जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण के पिता गोकुल पुत्र कुरडा को 26.08.1968 के ग्राम लाखेरा के खसरा नं. 33 की 38 बीघा 17 बिस्वा भूमि तत्कालीन आवंटन अधिकारी तहसीलदार (राजस्व) नोहर द्वारा पुख्ता आवंटन की गई थी। आवंटन के बाद प्रश्नगत भूमि नये खसरा नं. 259 की 11 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नं. 293/249 में 9 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नं. 280/259 में 5 बीघा 0 बिस्वा, खसरा नं. 253 में 0.08 बीघा व खसरा नं. 250 में 9 बीघा 15 बिस्वा में फैमूद हो गई। खसरा नं. 33 के नये खसरा नं. 253 की 0.08 बीघा बिरजुराम तथा 250 की 9 बीघा 15 बिस्वा भूमि गंगाराम के दर्ज हो गई। उपरोक्त भूमि चारों के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादीगण ने जवाब प्रार्थना–पत्र में साबिक खसरा नं. 95, 99, 93, 38, 250 की भूमि उनको आवंटन होने का कथन किया है जबकि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 ने अपने जवाब दावा की मद संख्या 10 में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 अमीलाल को खसरा नं. 9 में 10 बीघा व ख. नं. 99 में 15 कुल 25 बीघा भूमि आवंटित की गई जो भूमि सैटलमेंट विभाग से लेकर उसके कब्जा में चली आ रही है और रेस्पोडेण्ट संख्या 2 को ख. नं. 93 की 2.542 है. व ख0 नं0 25 की 2.466 है0 कुछल 5.008 है0 भूमि अपने कब्ज में होने के कथन किये हैं। इसी प्रकार रेस्पोडेण्ट संख्या 3 व 4 ने कथन किये हैं, परन्तु हाल भूमि जिसकी अपीलाण्ट ने गैर खातेदारी की उद्घोषणा चाही है उस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ता 4 का भू प्रबन्ध विभाग द्वारा गलत रूप से उनके नाम अंकन करने के एवं किसी प्रकार से कोई स्वत्व भूमि मे उन्हें किसी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं था। भूमि रेस्पोडेण्ट को आवंटित होनी सिद्ध नहीं थी। प्रतिवादीगण के पास पट्टा नहीं है। वादीगण ने आवंटन का दस्तावेज पेश किया प्रतिवादीगण के पास आवंटन का कोई दस्तावेज नहीं है। वादीगण को आवंटित भूमि की प्रतिवादीगण को खातेदारी दे दी गई जो त्रूटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्त रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 इमीलाल के नाम से 26.07.1968 को आवंटन अधिकारी द्वारा रोही मौजा लाखेरा के ख0 नं0 95 में 10 बीघा व ख0 नं0 99 में 15 बीघा कुल 25 बीघा भूमि आवंटित हुई थी तभी उक्त भूमि पर रेस्पोडेण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी आधार पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा दिनांक 31.05.2010 को खातेदारी दी गई थी। खसरा नं. 93 की मिन 2.542 हे0 व ख0 नं0 250 की 2.466 है. भूमि पर 1967 से प्रतिवादी संख्या 2 का कब्ज काश्त है जो टी0सी0 द्वारा आवंटित हुई थी जिसकी समस्त किश्तें जमा कराने पर पर रेस्पोडेण्ट सं0 2 को खातेदारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

दी गई है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के कब्जा काश्त में भी उक्त रकबा पर 1968 से निरंतर काबिज चले आ रहे हैं। वर्तमान में उक्त भूमि प्रतिवादी सं 1 ता 4 के नाम से खातेदारी दर्ज है। अपीलाण्ट का अथवा अपीलाण्ट के पूर्वज का उक्त भूमि पर कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा है। ख0 नं0 33 काफी बड़ा खसरा था हमारी भूमि को छोड़कर अन्य भूमि अपीलाण्ट को आवंटित हुई थी जिसका प्रतिवादीगण का कोई सरोकार नहीं है। अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित हो कि रेस्पोडेण्ट ने अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि अपने नाम से दर्ज करवाली हो। अतः अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावल का अवलोकन किया।

6. रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात जो असल दस्तावेजात की प्रमाणित प्रतिलिपियॉं है अपील के निर्णय में सहायक दस्तावेजात होने के कारण प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। केवल उन दस्तावेजात को जो प्रमाणित प्रतिलिपि है को अभिलेख पर लिया जाता है।

7. साबिक खसरा नं. 33 में से अपीलाट/वादीगण के पिता को 38 बीघा 17 बिस्वा भूमि आवंटित हुई थी। प्रतिवादीगण/रेस्पोडेण्टस का नाम की हाल रिकार्ड में साबिक ख. नं. 33 बने ख. नं. दर्ज है जबकि प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रेस्पोडेण्ट गंगाराम के पिता रूपाराम को साबिक ख. नं. 33 में कुछ भी आवंटन नहीं हुआ है। जबकि हाल रिकार्ड में साबिक खसरा नं. 33 से बना खसरा नं. 250 उसके नाम दर्ज है। मुलाराम को साबिक ख. नं. 33 में 10 बीघा भूमि आवंटन का दस्तावेज पेश किया है जबकि मूलाराम के नाम दर्ज साबिक ख. नं. 33 से बना ख. नं. 259 रकबा 21 बीघा 6 बिस्वा दर्ज है। इसी प्रकार बिरजू सिह पुत्र रावतसिंह को प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार साबिक खसरा नं. 33 में कोई भूमि आवंटित नहीं हुई जबकि साबिक खसरा नं. 33 की 8 बिस्वा भूमि उसके नाम दर्ज हाल खसरा नं. 253 में समाहित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी और प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का सही रूप में परीक्षण नहीं किया की कौनसी भूमि रेस्पोडेण्ट के नाम आवंटन हुई अथवा साबिक खसरा नं. 33 में से रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई अथवा नहीं। बिना आवंटन के किस आधार पर उक्तानुसार प्रविष्टियॉं की गई हैं इसका कोई स्पष्ट आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही दिया गया। अपीलांट के पिता को जब साबिक खसरा नं. 33 में से 38 बीघा 17 बिस्वा का आवंटन हुआ है तो उसके नाम भूमि का आवंटन क्यों नहीं हुआ। इस तथ्य का कोई युक्तियुक्त आधार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया है। सरसरी तौर पर वादीगण के वाद को निरस्त किया गया है। रेस्पोडेण्ट द्वारा जो दस्तावेज प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के द्वारा पेश किये गये वे अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष निर्णय के समय थे ही नहीं उनके रिबटल में वादीगण को दस्तावेज/साक्ष्य पेश करने की अनुमति देते हुए पुनः सुनवाई कर निर्णय हेतू प्रकरण प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है। साक्ष्यों के अनुसार

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

कब्जे का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित परीक्षण नहीं किया गया। धारा 88 व 183 के अनुसार वाद बेदखली व घोषणा से संबंधी अनुतोष दावे में चाहा गया है। उभयपक्षों को साक्ष्य के परीक्षण के पश्चात् घोषणा के अनुतोष का परीक्षण कर तद्नुसार कब्जे को दृष्टीगत रखते हुए बेदखली के संबंध में कार्यवाही की जानी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कब्जे का हवाला देते हुए दावे को खारिज किया है जबकि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के कब्जा मानते हुए घोषणा व बेदखली का अनुतोष चाहा है। अतः बिना दस्तावेज/साक्ष्य का उचित परिक्षण किये दावे को खारिज करना उचित नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.09.2015 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षों को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 13.06.2019 मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुर इजलास सुनाया गया।

13/6/19

(मूल चन्द आरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official